संख्या : 595/XVII-C-1/24-9(27)/2011 टी0सी0

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2 मण्डलायुक्त, कुमॉऊ एवं गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 14 मई, 24

विषय :– दिनांक 26 जुलाई (कारगिल दिवस) को "शौर्य दिवस" के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 890/xxxi(13)G/2011 दिनांक 15.07.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सरकार ने प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 जुलाई को कारगिल दिवस को "शौर्य दिवस" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लेते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2 – उक्त के कम में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 890/xxxi(13)G/2011 दिनांक 15.07.2011 की छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार इस वर्ष भी कारगिल दिवस को "शौर्य दिवस" के रूप में पूरी श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-05-2024 15:01:44

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : 595/XVII-C-1/24-9(27)/2011 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मा0 सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

enerated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 14/05/2024 10:52 AM

संख्याः- 890 /XXXI(13)G/2011

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून, दिनांक 15 जुलाई, 2011

विषयः—26 जुलाई (कारगिल दिवस) को शौर्य दिवस के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ सेना में भर्ती होना उदरपूर्ति/जीवकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक त्याग, बलिदान और गौरव की परम्परा है। भारतीय सेना की ईस्ट इंडिया कम्पनी से स्थापना किये जाने से आज तक प्रत्येक युद्ध में उत्तराखण्ड राज्य के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। कारगिल के दुर्गम क्षेत्र मे पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों/सैनिकों को दिनांक 26 जुलाई, 1999 को भारतीय सैनिकों ने अपने अद्म्य साहस का प्रदर्शन करते हुये मार भगाया। इस अभियान में उत्तराखण्ड राज्य के 75 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस विजय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 जुलाई को कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश का नौजवान, देश के प्रति बलिदान होने की भावना को अपने हृदय में रखते हुए इस भावना को आत्मसार कर सके।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 26 जुलाई को शौर्य दिवस के रूप में आयोजित करते हुये निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:—

1. आगामी 26 जुलाई, 2011 को कारगिल दिवस को राज्य स्तर पर शौर्य दिवस के सुव्यवस्थित रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। जनपद स्तर पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी जनपद के जिलाधिकारी की रहेगी।

2. समारोह की व्यवस्था में परामर्श देने के लिए एक समिति बना ली जाये और उसमें सभी राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये। कार्यक्रम स्थानीय सहूलियत और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाये।

3. प्रत्येक जनपद मुख्यालय में पूर्वान्ह में शहीद स्मारकों पर कारगिल शहीदों की प्रतिमाओं/चित्रों पर माल्यार्पण करते हुये श्रद्धा–सुमन अर्पित किये जायेंगे। जिन जनपदों में शहीद स्मारक उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ जनपद मुख्यालय पर कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इन कार्यक्रमों में कारगिल शहीदों के परिवारों और सेनानियों/पूर्व सैनानियों को सादर आमंत्रित भी किया जायेगा।

4. माल्यार्पण कार्यक्रम के पश्चात् जनपद मुख्यालयों में सैन्य परेड का आयोजन भी किया जायेगा, जिसमें सैन्य कर्मियों/पुलिस कर्मियों एवं एन0सी0सी0 के कैडेट की भूमिका भी सुनिश्चित की जाये। जिस जनपद में सेना का बैण्ड उपलब्ध है वहाँ उसका प्रयोग किया जाये। यदि सैन्य बैण्ड उपलब्ध न हो जनपद के पुलिस बैण्ड का उपयोग किया जाये। यदि किसी जनपद के सैन्य कार्मिक/विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित हो तो उसे भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाये।

5. समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास/कारगिल युद्ध के विषय में ज्ञान–वर्धक तथ्यों से अवगत कराते हुये सशस्त्र सैन्यबलों के बलिदान का नमन करते हुये देशभक्तों के जीवन के प्रेरक–प्रसंग दोहरायें जाएं, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो। शिक्षण संस्थानों में नाटक, विचार गोष्ठी प्रतियोगिताएं भी यथा सम्भव करायी जाय। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश पृथक से जारी करेंगे।

6. जनसाधारण को विशेष रूप से यह याद दिलाने की चेष्टा की जाए कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर जो स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा का अग्रेत्तर दायित्व हमारे ऊपर और नयी पीढ़ी पर है। इस हेतु जनपद मुख्यालयों पर कारगिल दिवस के परिप्रेक्ष्य में विचार गोष्ठियों का आयोजन करा लिया जाये, जिसमें प्रमुख रूप से जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों तथा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/सैनिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

7. जनपद मुख्यालयों पर शहीदों की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह इस प्रकार से आयोजित किये जायें कि उनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति तथा विरासत प्रतिबिम्बित हो।

8. राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने व उनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने हेतु भी यह अवसर महत्वपूर्ण है। अतः जनपद/ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का भी प्रभावी रूप से प्रचार प्रसार किया जाये। इसके लिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।

9. इस कार्यक्रम को पूर्णतया सरकारी कार्यक्रम न रखते हुये इसमें स्थानीय जनों, निजी संस्थाओं आदि का व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाये जिसमें वास्तविक रूप से इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व का स्वरूप प्राप्त हो।

10. शासन की यह भी प्राथमिकता है कि कारगिल दिवस के अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर राज्य सरकार के विभिन्न उपलब्धियों तथा कारगिल विजय की जानकारी को जनसाधारण तक पहुँचाया जाये।

11. समस्त जिलाधिकारी अपने से सम्बन्धित जनपदों में माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में कारगिल दिवस (26 जुलाई) से पूर्व निबन्ध प्रतियोगितायें आयोजित करायेंगे और

प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में पुरस्कार का वितरण कारगिल दिवस के अवसर पर सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाने के लिए जिलाधिकारी एक बैठक करके गत वर्ष के आयोजन की समीक्षा करेंगे तथा आगामी कारगिल दिवस को और अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास करेंगे।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्याः- 890 /XXXI(13)G/2011 तद्नदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, पुलिस/सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, शिक्षा विभाग/सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।